



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64936

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5928/2026

अलीशेर अली

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: मानवेंद्र नारायण पाठक

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक बी.पी. सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एन. पाठक और राज्य प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत, आवेदक अलीशेर अली की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे मामला अपराध संख्या 0149/2025, उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5-A/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत, जो थाना बनकटा, जिला देवरिया में मुकदमा लंबित रहने के दौरान दर्ज है, में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने अपनी बाइक पर एक वाहन को कवर दिया था जिसमें आठ जीवित गायों को ले जाया जा रहा था। उसका आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदन के ज्ञापन में विधिवत स्पष्ट किया गया है। आवेदक, जो 16.12.2025 से जेल में है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत मिलती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी ध्यान दिलाया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के कारण, सुनवाई जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है और कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने अपनी बाइक पर उस गाड़ी को कवर दिया था जिसमें आठ ज़िंदा गायें ले जाई जा रही थीं और आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है।

5. उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, आवेदक ने अपनी बाइक पर उस वाहन को कवर दिया था जिसमें आठ जीवित गायों को ले जाया जा रहा था। उसका आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदन के ज्ञापन में विधिवत समझाया गया है। आवेदक 16.12.2025 से जेल में है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और दस्तावेजों से मिले सबूतों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की मुख्य बातों पर कोई टिप्पणी किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए सही मामला लगता है। इसलिए, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपर्युक्त मामले में शामिल आवेदक अलीशेर अली को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों को प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रुक जाए या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं माना जाएगा। निचली अदालत इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”